और पढ़े-लिखे लोग अनपढ़ लोगों के द्वारा सोसाइटियों से फायदा उठाते हैं और इन लोगों को आखिर में वह रुपया देना पड़ता है।

जहां तक तालीम का सवाल है, अभी यह कहा गया है कि जर्मनी और हालैंड में को-आपरेटिव सोसाइटियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर एजूकेशन भी बहुत ज्यादा है। अगर हम एजूकेशन की ओर ध्यान दें, तो यह मूवमैंट भी हमारे मुल्क में आसानी के साथ चल सकता है। हमारे यहां को-आपरेटिव यूनियन की तरफ से को-आपरेटिव के बारे में शिक्षा दी जा रही है लेकिन यह रामायण की कथा तो नहीं है कि अनपढ़ लोग इसे अच्छी तरह से समझ जायें। इसमें तो रुपये पैसे का मामला होता है और जब तक हम इन लोगों को यह चीज अच्छी तरह से नहीं समझाते तब तक हमारा मूवमेंट अच्छी तरह से नहीं चल सकता है। इसलिए इसके लिए यह जरूरी है कि हम इन लोगों को तालीम दें ताकि यह मूवमेंट आसानी के साथ चल सके।

अब एक इलैक्शन का सिलसिला भी इसमें आता है जिसमें काफी छीनाझपटी होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन सोसाइटियों में पोलिटिक्स घुस गया है, उसी तरह से इलैक्शन के जरिये गरीब लोगों को पोलिटिक्स में इन्टैंगिल कर लिया जाता है और इस तरह से इन लोगों को झगड़े में फंसा लिया जाता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इलैक्शन का सवाल है उसके रूल्स भी तब्दील होने चाहियें।

जहां तक बोगस को-आपरेटिव सोसाइटियों का सवाल है, इनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि बोगस सोसाइटियों को बनाने की जिम्मेदारी किस पर है। ये जो बोगस सोसाइटियां बनाई जाती हैं, उनके बनाने के बारे में मैं समझता हूं कि सरकारी कर्मचारी ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे ही सोसाइटियों को रजिस्टर करते हैं और उन्हीं की वजह से इस तरह की सोसाइटियां रजिस्टर होती हैं। ये सोसाइटियां इसलिए रजिस्टर होती हैं, ताकि इन्कम टैक्स से बचा जा सके, जो लैण्ड सीलिंग है, उससे बचा जा सके। जहां सोसाइटियां बनाने का टार्गेट है, सरकारी कर्मचारी उनको पूरा नहीं कर पाते और वे नालायक साबित न हों इसलिए वे टार्गेट को पूरा करने के लिए इस तरह की सोसाइटियां बना देते हैं। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह टार्गेट का सिलसिला नहीं रहना चाहिये।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr Varma, how much more time will you take?

SHRI C. L. VARMA: About three minutes more.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Well let the Minister for Parliamentary Affairs make a statement now. Mr. Sinha.

1 P.M.

ANNOUNCEMENT RE GOVERNMENT BUSINESS

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SATYA NARAYAN SINHA): With your permission, Madam, I rise to announce that the Government Business in this House during the week commencing 28th September, 1964, will consist of: —

(1) Further consideration of the Wakf (Amendment) Bill, 1964, as passed by Lok Sabha.

(2) Consideration and passing of the Companies (Amendment) Bill, 1964, as passed by Lok Sabha.

[Shri Satya Narayan Sinha.]

(3) Consideration and return of the following Bills, as passed by Lok Sabha: —

The Legal Tender (Inscribed Notes) Bill, 1964,

The Appropriation (No. 5) Bill, 1964,

The High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill, 1964.

(4) Consideration and passing of the following Bills, as passed by Lok Sabha: —

The Representation of the People (Amendment) Bill, 1964.

The Kerala State Legislature (Delegation of Powers) Bill, 1964.

(5) Consideration and return of the Direct Taxes (Amendment) Bill, 1964, as passed by Lok Sabha.

(6) Consideration and passing of the State Bank of India (Amendment) Bill, 1964, as passed by Lok Sabha.

(7) Discussion on the Resolution approving the Proclamation issued by the President under Article 356 of the Constitution in relation to the State of Kerala on Wednesday, the 30th September, after, disposal of Questions.

RESOLUTION *RE.* APPOINTMENT OF A PARLIAMENTARY COMMITTEE TO ENQUIRE INTO AGRICULTURAL CO-OPERATIVES AND SUGGEST MEASURES FOR STRENGTHENING THEM—*continued.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Varma, now you may take three more minutes and finish your speech.

श्री सी० एल० वर्मा : मैं यह कह रहा था कि बोगस को-आपरेंटिव सोसाइटीज क्यों बनती हैं जैसा कि मैंने पहले कहा कि वे या तो इन्कम टैक्स इवेंड करने के लिये या लैंड सीलिंग से बचने के लिये या जो सब्सिडी मिलती है उसको हासिल करने के लिये बनती है। मैं समझता हूं कि यह सब्सिडी वाला सिस्टम जो है, यह बिलकुल गलत है, इससे न सोसाइटीज को फायदा होता है और न लोगों को फायदा होता है, बल्कि चन्द आदमी इसका फायदा उठा करके और इसको इधर उधर करके खत्म कर देते हैं। इसके अलावा अगर किसी डेलीगेशन या किसी डेपुटेशन को दूसरे मुल्कों में जाना हो, तो जब तक किसी सोसाइटी की नुमायन्दगी आपके पास न हो, आपका काम नहीं चल सकता है। इसलिये लोग कोई सोसाइटी बना लेते हैं और उसकी नुमायन्दगी हासिल करके दूसरे मुल्को में चले जाते हैं और वहां सैर सपाटा करके वापस आ जाते हैं। मैंने खुद देखा है कि एग्रीकल्चरल फार्मिंग के सिलसिले में बहुत से अमेरिका जाते हैं, लेकिन वहां से वापस आ कर वे एग्रीकल्चर फार्मिंग नहीं चलाते हैं। खुद मेरी स्टेट से बहुत से गये और वापस आकर या तो कहीं नौकर हो गये हैं या अपने घर में ही उन्होंने कोई छोटा मोटा काम कर लिया है। इस तरह जिस काम के लिये उनको भेजा गया था, उससे न मुल्क का फायदा हुआ और न इलाके का फायदा हुआ।

आखिर में मेरा महज यह कहना है कि अगर इस एक्ट में कुछ रद्दोबदल हो जाय, तो जो इस वक्त कमियां बतलाई जाती हैं को-आपरेटिव सोसाइटियों के अन्दर, ये दूर हो जायेंगी और अगर हम चाहते हैं कि अच्छी कोआपरेटिव सोसाइटियां बनें और वे अपना काम अच्छी तरह से कर के मुल्क का फायदा कर सकें, तो इसके अलावा और हमारे पास कोई चारा नहीं है।

आपका बहुत बहुत धन्यवाद।